न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 63 / 2017
प्रविष्टि दिनांक 7–6–2017

अजीज खॉ पुत्र मियां खॉ निवासी बरोनी तहसील व जिला– टोंक राज0
–अपीलाण्ट

बनाम

उपखण्ड मजिस्ट्रेट टोंक जिला–टोंक
–रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड मजिस्ट्रेट टोंक दिनांक 23–11–2011

उपस्थिति : (1) श्री दिनेश कुमार शर्मा अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री राजेश गुर्जर लोक अभियोजक एंव राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

<u>निर्णय</u> **दिनांक 19–8–2021**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट टोंक ने अपने आदेश क्रमांक 6680 दिनांक 23–11–2011 से प्रार्थी के नाम शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 27 / 2002 तहसील टोंक निरस्त करने तथा शस्त्र को पुलिस थाना बरोनी में जमा कराने का आदेश पारित किया है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट टोंक के उक्त आदेश को निरस्त करने एंव शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 27 / 2002 को नवीनीकरण किये जाने हेतु मय दफा–5 प्रार्थना पत्र के यह अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर उपखण्ड मजिस्ट्रेट टोंक की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट की बहस सुनी गई। लोक अभियोजक एंव राजकीय अभिभाषक ने लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट ने नियमानुसार अपना शस्त्र अनुज्ञापत्र को आगामी आवधि के लिए नवीनीकरण करने हेतु निवेदन किया था जिसमें पुलिस अधीक्षक टोंक द्वारा भिजवाई गई रिपोर्ट अनुसार पुलिस थाना बरोनी में प्रकरण सं0 100 / 2006 दिनांक 20–4–2006 अपराध अन्तर्गत धारा 279,33[illegible] [illegible]पी0सी0 में दर्ज होना तथा उसकी चार्जशीट नं0 67 / 2006 दिनांक 2[illegible]–2[illegible] को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत होकर दिनांक 5–4–2008 को 1500 रूप्ये अर्थद[illegible] दण्डित किये जाने पर अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण नहीं कि[illegible] जाने की अनुसंषा की गई। उपखण्ड मजिस्ट्रेट टोंक ने उक्त रिपोर्ट के आधार [illegible] [illegible]लान्ट का लाईसेस 27 / 2002 निरस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:36:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

कर शस्त्र में दर्ज डी0बी0एम0एल0गन नंम्बर 1898/28 को पुलिस थाना बरोनी में जमा कराने का आदेश पारित किया है, वह गलत हे जो प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है। क्योंकि प्रकरण सं0 100/2006 दिनांक 20–4–2006 अपराध अन्तर्गत धारा 279,337/338 आई0पी0सी0 मारपीट का प्रकरण नहीं था, उक्त प्रकरण एक्सीडेण्ट का प्रकरण था जिसमें जुर्माना हो चुका है। किसी प्रकार की सजा भी नहीं हुई है। मात्र गाड़ी से दुर्घटना होने का मामला था जिसके आधार पर पुलिस अधीक्षक टोंक द्वारा लाईसेंस नवीनीकरण नहीं करने की गलत अनुशंषा की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर उपखण्ड मजिस्ट्रेट टोंक का निर्णय दिनांक 23–11–2011 अपास्त किया जावे एंव अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र को नियमानुसार नवीनीकृत किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव लोक अभियोजक एंव राजकीय अभिभाषक की लिखित बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली एंव गृह (ग्रुप–9) विभाग जयपुर के पत्र प–1(13)गृह–9/2006 पार्ट दिनांक 15–3–2013 द्वारा जारी पत्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अपीलाधीन आदेश की पत्रावली के अध्ययन ने विदित होता है कि अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र दिनांक 28–2–2008 तक नवीनीकृत किया हुआ था। अपीलान्ट ने अपने शस्त्र अनुज्ञापत्र को आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण हेतु प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया था। तत्पश्चात नवीनीकरण की प्रकिया के दौरान पुलिस अधीक्षक टोंक ने रिपोर्ट भिजवाई है कि अपीलान्ट अजीज खॉ पुत्र मियां खॉ निवासी बरोनी तहसील व जिला– टोंक के विरूद्व पुलिस थाना बरोनी में प्रकरण सं0 100/2006 दिनांक 20–4–2006 अपराध अन्तर्गत धारा 279,337/338 आई0पी0सी0 में दर्ज होना तथा उसकी चार्जशीट नं0 67/2006 दिनांक 24–7–2006 को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत होकर दिनांक 5–4–2008 को 1500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के कारण अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुसंषा की गई। अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता हादसे से जख्मी होने से संबंधित है एंव शस्त्र के प्रयोग/दुरूपयोग से सम्बन्धित नहीं है। अतः प्रकरण को उपखण्ड मजिस्ट्रेट टोंक को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर उपखण्ड मजिस्ट्रेट टोंक को प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह आर्मस नियम 2016 की पूर्ण पालना सुनिश्चित करते हुए अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र 27/2002 के सम्बन्ध में पुनः जॉच रिपोर्ट लेकर निर्णय ले।

निर्णय आज दिनांक 19–8–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, टोक

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:36:40 IST
Reason: SelfAttested